

शहरी विकास विभाग  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार  
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली


विधायक का नाम : श्री रोहित मेहरोलिया

दिनांक : 30.07.2021

विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 100

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	त्रिलोक पुरी विधानसभा क्षेत्र में सुअर की कटाई के लिए कसाईखानों की व्यवस्था कब तक की जा सकेगी ?	<p><b>पूर्वी दिल्ली नगर निगम:-</b> सूचित किया जाता है कि त्रिलोकपुरी क्षेत्र में स्लम व जे.जे.विभाग (DUSIB) द्वारा सुअर पालने हेतु Hutment (पक्की झोपड़ियों) का आवंटन लगभग वर्ष 1976 में किया गया था। Hutment (पक्की झोपड़ियों) के स्थानांतरण हेतु यू.पी., बिहार नागरिक परिषद बनाम श्री मनमोहन सिंह एण्ड अदर्स संख्या 136/17 in W.P.C No. 11150/09 उच्च न्यायालय दिल्ली में विचाराधीन है।</p> <p>पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग में सुअर वध गृह हेतु कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। परन्तु माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सिविल लाईन क्षेत्र के राजपुरा गुड़ मण्डी में घरों में सुअर काटने की इज्जाजत तब तक दी गई है जब तक कि दिल्ली में सुअर वध गृह नहीं बन जाता।</p>

  
Deputy Secretary (Admn.)  
Urban Development Deptt.  
Govt. of N. C. T. of Delhi  
9th Level, Delhi Sectt.  
New Delhi-110002